मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू

खंड XXII अंक 05 अगस्त 2026

एमसीआईआर

विषय-वस्तु

खंड	पृष्ठ
I. मौद्रिक नीति	1-2
II. विनियमन	2-4
III. केंद्रीय बोर्ड की बैठक	3
IV. प्रकाशन	4
V. जारी आंकड़े और सर्वेक्षण	4

संपादक की कलम से

'गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा ने 5 अगस्त 2026 को वर्ष 2026-27 की तीसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक के निर्णयों की घोषणा की। समिति ने रेपो दर को 5.25 प्रतिशत, एसडीएफ को 5.00 प्रतिशत तथा एमएसएफ और बैंक दर को 5.50 प्रतिशत पर यथावत रखने का निर्णय लिया तथा मौद्रिक नीति का रुख तटस्थ बनाए रखा। लगातार सोलह महीनों तक लक्ष्य से नीचे रहने के बाद जून, 2026 में सीपीआई मुद्रास्फीति बढ़कर 4.4 प्रतिशत हो गई, जिसका मुख्य कारण खाद्य एवं ईंधन की ऊँची कीमतें रहीं। वर्ष 2026-27 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 5.0 प्रतिशत तथा वास्तविक जीडीपी की वृद्धि दर 6.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जिससे विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की स्थिति पुनः सुदृढ़ होती है। इस अवधि में बैंकिंग प्रणाली में दैनिक औसत चलनिधि अधिशेष ₹1.0 लाख करोड़ रहा। इसके साथ जारी विकासात्मक एवं विनियामक नीतियों संबंधी वक्तव्य के अनुसार, लगभग दो दशकों के अंतराल के बाद शहरी सहकारी बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने की व्यवस्था पुनः निरंतर आवेदन आधारित प्रणाली पर आरंभ की जा रही है। ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए संकेंद्रण जोखिम संबंधी दिशा-निर्देशों (जिनका अंतिम संशोधन वर्ष 2008 में हुआ था) की समीक्षा की जा रही है तथा अग्रिमों पर ब्याज दरों से संबंधित व्यवस्था को अधिक पारदर्शिता और उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सामंजस्यपूर्ण बनाया जा रहा है। 21 अगस्त 2026 को चेन्नई में गवर्नर की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय बोर्ड की 624वीं बैठक में आर्थिक परिस्थितियों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यकलापों की समीक्षा की गई। इसमें उसकी विभिन्न समितियों तथा ओम्बुड्समैन योजना के कार्य संचालन की भी समीक्षा की गई।

हम सही जानकारी साझा करने और गहरी समझ बढ़ाने के अपने लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध हैं। एमसीआईआर को https://www.rbi.org.in/ पर या क्यूआर कोड स्कैन करके भी देखा जा सकता है। हम mcir@rbi.org.in पर आपकी प्रतिक्रिया का स्वागत करते हैं।

ब्रिज राज
संपादक

I. मौद्रिक नीति

गवर्नर द्वारा 5 अगस्त 2026 को दिया गया मौद्रिक नीति वक्तव्य

श्री संजय मल्होत्रा, गवर्नर, ने मौद्रिक नीति समिति के वित्तीय वर्ष 2026-27 की तीसरी द्विमासिक बैठक में नीतिगत रेपो दर पर विचार-विमर्श करने और निर्णय लेने के लिए 3, 4 और 5 अगस्त को हुई बैठक के बाद 5 अगस्त 2026 को मौद्रिक नीति समिति के निर्णय की घोषणा की। बदलती समष्टि-आर्थिक और वित्तीय गतिविधियों और संभावनाओं के विस्तृत आकलन के बाद, एमपीसी ने सर्वसम्मति से चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रेपो दर को 5.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया; परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 5.00 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहेगी और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 5.50 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहेगी। एमपीसी ने तटस्थ रुख को जारी रखने का भी निर्णय लिया। एमपीसी ने उल्लेख किया कि हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति आशा के अनुसार लक्ष्य से ऊपर रही। हालांकि, पहली तिमाही के लिए संभावित मुद्रास्फीति अनुमानों की तुलना में मामूली रूप से कम रही, जो लागत दबावों के सीमित प्रसार को दर्शाती है। उच्च मुद्रास्फीति ज्यादातर ईंधन और भोजन के कारण है, जिसमें अब तक मूल्य दबावों के सामान्यीकरण के बहुत कम संकेत हैं। कीमती धातुओं को छोड़कर मुख्य मुद्रास्फीति सौम्य बनी हुई है। जैसा कि पहले अनुमान लगाया गया था, निकट भविष्य में हेडलाइन मुद्रास्फीति में और वृद्धि होने और 2026-27 की तीसरी तिमाही में मुख्य रूप से भोजन और ईंधन के कारण चरम पर पहुंचने की आशा है, जिसके बाद इसमें कमी आएगी। अंतर्निहित मुद्रास्फीति, जिसे बहुमूल्य धातुओं को छोड़कर मूल मुद्रास्फीति से मापा जाता है, कुछ समय से नरम बनी हुई है और वित्तीय वर्ष के अंत तक इसके मूल मुद्रास्फीति के अनुरूप आने की संभावना है। घरेलू मांग की आघात सहनीयता, विनिर्माण एवं सेवा गतिविधियों के सतत विस्तार तथा निर्यात के सशक्त प्रदर्शन से आर्थिक वृद्धि को निरंतर समर्थन मिल रहा है, जिससे भारत विश्व की सर्वाधिक तेज़ गति से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति पुनः स्थापित कर रहा है।

संक्षेप में, यद्यपि हेडलाइन मुद्रास्फीति में वृद्धि का अनुमान है, तथापि इसका प्रमुख कारण खाद्य एवं ईंधन से उत्पन्न आपूर्ति-पक्षीय दबाव हैं; यह व्यापक आधार पर नहीं फैल रही है। मूल मुद्रास्फीति अभी भी संयमित बनी हुई है तथा तीसरी तिमाही में उच्चतम स्तर पर पहुँचने के पश्चात इसके घटने की अपेक्षा है। संवृद्धि, यद्यपि आघात-सह बनी हुई है, फिर भी वर्ष 2026-27 में कम रहने का अनुमान है। तथापि, दक्षिण-पश्चिम मानसून, एल नीनो, भू-राजनीतिक परिस्थितियों तथा वैश्विक व्यापार नीति से संबंधित अनिश्चितताओं के कारण संभावना अभी भी अनिश्चित बनी हुई है। मौद्रिक नीति संबंधी किसी भी निर्णय से पूर्व विशेषकर मुद्रास्फीति, उसके मार्ग तथा संरचना के संबंध में अधिक स्पष्टता आवश्यक है। ऐसा कोई भी निर्णय संवृद्धि-मुद्रास्फीति की बदलती परिस्थितियों तथा अब तक निम्न स्तर पर रही अंतर्निहित मुद्रास्फीति के सामान्यीकरण को ध्यान में रखते हुए नीतिगत दरों के पुनर्संतुलन की आवश्यकता पर आधारित होगा। इन सभी पहलुओं पर विचार करते हुए एमपीसी ने नीतिगत दर को यथावत रखने का निर्णय लिया। एमपीसी ने समष्टि आर्थिक गतिविधियों के अनुरूप समयोचित प्रतिक्रिया देने के उद्देश्य से तटस्थ रुख बनाए रखने का भी निर्णय लिया। एमपीसी ने यह भी दोहराया कि वह मुद्रास्फीति को लक्ष्य के अनुरूप बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता में अडिग रहते हुए परिस्थितियों पर सतत और निकट दृष्टि बनाए रखेगी। पूरा वक्तव्य पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

विकासात्मक एवं विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

इस वक्तव्य में विनियमन से संबंधित विभिन्न विकासात्मक एवं विनियामक उपाय प्रस्तुत किए गए हैं:

1. शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लाइसेंसीकरण संबंधी दिशा-निर्देश का मसौदा

दो दशकों से नए लाइसेंस देने की प्रक्रिया पर विराम रहने के पश्चात शहरी सहकारी बैंकों के लाइसेंसीकरण पर हितधारकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए 13 जनवरी 2026 को एक चर्चा-पत्र जारी किया गया था। है। प्राप्त प्रतिक्रिया के विश्लेषण के आधार पर, यूसीबी के लिए 'ऑन-टैप' आधार पर लाइसेंसिंग पुनः प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में हितधारकों के सुझाव प्राप्त करने हेतु शीघ्र ही दिशानिर्देशों का मसौदा जारी किया जाएगा।

2. संकेंद्रण जोखिम प्रबंधन संबंधी दिशानिर्देशों की समीक्षा- ग्रामीण सहकारी बैंक

ग्रामीण सहकारी बैंकों के संकेंद्रण जोखिम प्रबंधन संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड वर्ष 2008 में जारी ऋण निगरानी व्यवस्था (सीएमए) निर्देशों द्वारा विनियमित हैं। चूंकि तब से सामान्य तौर पर बैंकिंग क्षेत्र और विशेष रूप से सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण विस्तार और परिवर्तन हुए हैं, इसलिए केंद्रित उधार प्रदान करने से उत्पन्न होने वाली विवेकपूर्ण चिंताओं का समाधान करते हुए एक जीवंत सहकारी क्षेत्र के विकास के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इन निर्देशों की समीक्षा करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में व्यापक हितधारक परामर्श हेतु संशोधन निदेशों का मसौदा जारी किया जा रहा है।

3. अग्रिमों पर ब्याज दर संबंधी दिशा-निर्देशों की समीक्षा

भारतीय रिज़र्व बैंक सभी विनियमित संस्थाओं (आरई) के लिए ब्याज दरों से संबंधित विनियामक ढांचे को सिद्धांत-आधारित दृष्टिकोण पर तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव रखता है। प्रस्तावित युक्तिकरण का उद्देश्य है— (i) विभिन्न विनियमित संस्थाओं के लिए दिशा-निर्देशों में अनुपातिकता बनाए रखते हुए सामंजस्य स्थापित करना; (ii) एमसीएलआर तथा ईबीएलआर व्यवस्था से संबंधित कुछ परिचालनात्मक पहलुओं का समाधान करना; तथा (iii) ब्याज निर्धारण से संबंधित विभिन्न प्रचलित बाज़ार प्रक्रियाओं, जैसे दिन-गणना पद्धति एवं मानक पुनर्निर्धारण तिथियों का मानकीकरण करना। इन उपायों का उद्देश्य ऋण मूल्य निर्धारण में एकरूपता सुनिश्चित करना, पारदर्शिता बढ़ाना, मौद्रिक नीति के प्रसार को सुदृढ़ करना तथा उपभोक्ता संरक्षण को और अधिक सशक्त बनाना है। इन प्रस्तावों को सम्मिलित करते हुए निदेशों का मसौदा शीघ्र ही सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी किए जाएंगे।

एमपीसी का कार्यवृत्त

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ज़ेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की 62वीं बैठक 3 से 5 अगस्त 2026 के दौरान आयोजित की गई थी। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ज़ेडएल के अंतर्गत, रिज़र्व बैंक ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक का कार्यवृत्त दिनांक 19 अगस्त 2026, अर्थात एमपीसी बैठक के चौदहवें दिन, जारी किया। वैश्विक और घरेलू संदर्भ में हो रहे घटनाक्रमों को देखते हुए, एमपीसी ने स्टाफ के समष्टि-आर्थिक अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की, जिसमें सर्वेक्षण परिणामों और हितधारकों के साथ परामर्श से प्राप्त निविष्टि शामिल थे। एमपीसी ने संभावना के विभिन्न जोखिमों से जुड़े वैकल्पिक परिदृश्यों की भी समीक्षा की। विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।

II. विनियमन

आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों के 'ऑन -टैप' लाइसेंसीकरण के लिए मसौदा दिशा-निर्देशों पर जन- सामान्य से टिप्पणियाँ आमंत्रित की

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 अगस्त 2026 को हितधारकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए शहरी सहकारी बैंकों के 'ऑन टैप' लाइसेंसीकरण के लिए मसौदा दिशा-निर्देश प्रकाशित किए जिन पर जन-सामान्य/हितधारकों से 05 सितंबर 2026 तक टिप्पणियां आमंत्रित की गई थीं। टिप्पणियां भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध 'कनेक्ट 2 रेगुलेट' खंड के अंतर्गत दिए गए लिंक के माध्यम से प्रेषित की जानी थीं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने "भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - ऋण सुविधा) संशोधन निदेश, 2026" के मसौदे पर टिप्पणियाँ आमंत्रित की

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 6 अगस्त 2026 को "भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - ऋण सुविधा) संशोधन निदेश, 2026" का मसौदा जारी किया। संशोधन निदेशों के मसौदे पर विनियमित संस्थाओं और अन्य इच्छुक हितधारकों से 28 अगस्त 2026 तक टिप्पणियाँ / प्रतिक्रिया आमंत्रित की गई थीं। उक्त संशोधन निदेशों के मसौदे पर प्रतिक्रिया 'कनेक्ट 2 रेगुलेट' के माध्यम से विषय पंक्ति "भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी - ऋण सुविधा) संशोधन निदेश, 2026" के मसौदे पर प्रतिक्रिया" के साथ प्रस्तुत की जा सकती है।

आरबीआई ने 'ऋणों की वसूली एवं वसूली एजेंटों की नियुक्ति में विनियमित संस्थाओं का आचरण' संबंधी संशोधन निदेश जारी किए

रिज़र्व बैंक ने हितधारकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए 20 मई 2026 को 'ऋणों की वसूली और वसूली एजेंटों की नियुक्ति में विनियमित संस्थाओं का आचरण' संबंधी संशोधन निदेशों का मसौदा जारी किया था। उपर्युक्त संशोधित निदेशों के मसौदे पर प्राप्त प्रतिक्रिया की जांच की गई है और परिणामस्वरूप संशोधनों को अंतिम संशोधन निदेशों में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है। प्राप्त प्रतिक्रिया का एक विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने आज निम्नलिखित संशोधन निदेश जारी किए हैं, जो **1 जनवरी 2027** से प्रभावी होंगे।

(i) भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - दायित्वपूर्ण कारोबार आचरण) चौथा संशोधन निदेश, 2026

(ii) भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक - दायित्वपूर्ण कारोबार आचरण) चौथा संशोधन निदेश, 2026

(iii) भारतीय रिज़र्व बैंक (स्थानीय क्षेत्र बैंक - दायित्वपूर्ण कारोबार आचरण) चौथा संशोधन निदेश, 2026

(iv) भारतीय रिज़र्व बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक - दायित्वपूर्ण कारोबार आचरण) चौथा संशोधन निदेश, 2026

(v) भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक - दायित्वपूर्ण कारोबार आचरण) चौथा संशोधन निदेश, 2026

(vi) भारतीय रिज़र्व बैंक (ग्रामीण सहकारी बैंक - दायित्वपूर्ण कारोबार आचरण) चौथा संशोधन निदेश, 2026

(vii) भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान - दायित्वपूर्ण कारोबार आचरण) तीसरा संशोधन निदेश, 2026

(viii) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ - दायित्वपूर्ण कारोबार आचरण) तीसरा संशोधन निदेश, 2026

(ix) भारतीय रिज़र्व बैंक (आवास वित्त कंपनियां) तीसरा संशोधन निदेश, 2026

संशोधन निदेशों में सभी विनियमित संस्थाओं (आरई) को ऋणों की वसूली और वसूली एजेंटों की नियुक्ति में आचरण से संबंधित मामलों पर दिए गए व्यापक अनुदेश शामिल हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, वसूली प्रक्रिया के दौरान उधारकर्ताओं के साथ उचित व्यवहार, ऋणदाता के कर्मचारियों और वसूली एजेंटों का आचरण तथा समुचित सावधानी, प्रशिक्षण, वसूली एजेंटों के लिए आचार संहिता जैसे विषय शामिल हैं। साथ ही, किसी उधारकर्ता के, उधार पर लिए गए मोबाइल उपकरणों के ऋण की बकाया राशि की वसूली हेतु प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था को प्रयुक्त करते समय आरई द्वारा किया जाने वाला आचरण भी शामिल है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

III. भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की 624वीं बैठक

भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड की 624वीं बैठक आज चेन्नै में श्री संजय मल्होत्रा, गवर्नर की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

बोर्ड ने इस बैठक में वर्तमान आर्थिक स्थिति तथा वैश्विक और घरेलू चुनौतियों सहित आर्थिक संभावना के जोखिमों की समीक्षा की। बोर्ड ने रिज़र्व बैंक के परिचालन के विभिन्न क्षेत्रों की भी समीक्षा की, जिसमें बैंक की समितियों और ओम्बुड्समैन योजना का कामकाज शामिल है।

उप गवर्नर श्री स्वामीनाथन जे., डॉ. पूनम गुप्ता, श्री शिरिश चंद्र मुर्मू, श्री रोहित जैन तथा केंद्रीय बोर्ड के अन्य निदेशक यथा श्रीमती रेवती अय्यर, प्रो. सचिन चतुर्वेदी, श्री आनंद गोपाल महिंद्रा तथा श्री सोमनाथ श्रीधर पणिक्कर बैठक में शामिल हुए।

सकेंद्रण जोखिम प्रबंधन संबंधी दिशानिर्देशों की समीक्षा - ग्रामीण सहकारी बैंक

दिनांक 5 अगस्त 2026 को जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में शीर्षांकित विषय संबंधी की गई घोषणा के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने जन सामान्य की टिप्पणियों के लिए निम्नलिखित निदेशों के मसौदे जारी किए हैं:

i. भारतीय रिज़र्व बैंक (ग्रामीण सहकारी बैंक – सकेंद्रण जोखिम प्रबंधन) निदेश, 2025 को प्रतिस्थापित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (ग्रामीण सहकारी बैंक – सकेंद्रण जोखिम प्रबंधन) निदेश, 2026 का मसौदा

ii. भारतीय रिज़र्व बैंक (ग्रामीण सहकारी बैंक – ऋण संबंधी सुविधाएं) निदेश, 2025 के कतिपय प्रावधानों में संशोधन हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक (ग्रामीण सहकारी बैंक – ऋण संबंधी सुविधाएं) संशोधन निदेश, 2026 का मसौदा

2. उपर्युक्त निदेशों के मसौदे में, अन्य बातों के अलावा, एकल / समूह प्रतिपक्ष के लिए विवेकपूर्ण एक्सपोज़र सीमाएं, आवास ऋण की बढ़ी हुई सीमाएं और अरक्षित अग्रिमों पर विवेकपूर्ण एक्सपोज़र सीमाएं निर्धारित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, ₹1,000 करोड़ से अधिक जमाराशि वाले बड़े ग्रामीण सहकारी बैंकों (आरसीबी) को आवास ऋण की अवधि एवं अधिस्थगन संबंधी आवश्यकताएं निर्धारित करने में छूट देने का प्रस्ताव है, जबकि अन्य आरसीबी के मामले में इन सीमाओं को बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा, स्थावर संपदा क्षेत्र को छोड़कर, निर्धारित विवेकपूर्ण क्षेत्र-वार एक्सपोजर सीमा को वापस लेने का प्रस्ताव है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 'ऋण मूल्यन समायोजन (सीवीए) ढांचा' संबंधी मसौदा निदेश पर जन-सामान्य से टिप्पणियाँ आमंत्रित की

ऋण मूल्यन समायोजन (सीवीए) संभावित प्रतिपक्षी चूक के लिए डेरिवेटिव की चूक जोखिम- मुक्त कीमतों के समायोजन को दर्शाता है। सीवीए जोखिम का अर्थ है सीवीए मूल्यों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप होने वाले नुकसान, जो प्रतिपक्षी ऋण स्प्रेड और बाजार जोखिम कारकों में बदलाव से संचालित होते हैं। सीवीए पूंजी शुल्क यह सुनिश्चित करता है कि बैंकों के पास इन जोखिमों से निपटने के लिए पर्याप्त पूंजी उपलब्ध है।

रिज़र्व बैंक द्वारा वर्तमान सीवीए ढांचे को वर्ष 2011 में जारी किया गया था, जो 2010 में जारी बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) मानकों पर आधारित था। उसके बाद से बीसीबीएस द्वारा, अंतिम बासेल III ढांचे के तहत संशोधित सीवीए दिशानिर्देश जारी किए जा चुके हैं। तदनुसार, सीवीए ढांचे संबंधी संशोधित अनुदेश जारी करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें भारत में बैंकों को बुनियादी पद्धति (बीए-सीवीए) अपनाने की अनुमति दी गई है। बैंक बीए-सीवीए के पूर्ण अथवा आंशिक संस्करण को लागू करने का चुनाव कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, बीसीबीएस दिशानिर्देशों के अनुरूप, ऐसे बैंक जिनके पास अकेंद्रीय रूप से समाशोधित डेरिवेटिव कम मात्रा में हैं, अपने सीवीए पूंजी शुल्क की गणना अपने प्रतिपक्षी ऋण जोखिम (सीसीआर) पूंजी शुल्क के 100 प्रतिशत के रूप में कर सकते हैं।

संशोधित अनुदेश: (क) पात्र बैंकों को एक सरल पद्धति अपनाने की अनुमति देते हैं; (ख) सीवीए हेज की पात्रता और मान्यता को स्पष्ट करते हैं; (ग) क्षेत्र और क्रेडिट गुणवत्ता के अनुसार प्रतिपक्षों के लिए पर्यवेक्षी जोखिम भार की संवेदनशीलता बढ़ाते हैं; और (घ) अप्रत्यक्ष सीवीए हेज के अपूर्ण संरेखण को ठीक करते हुए, पूर्ण बीए-सीवीए गणना में व्यवस्थित तथा विशेष प्रकृति के सीवीए जोखिम घटकों को पृथक करते हैं। उक्त संशोधन जोखिम संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं और सीवीए ढांचे की स्थिरता में सुधार करते हैं। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने आज भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक-ऋण मूल्यन समायोजन ढांचा) निदेश, 2026 जारी किए हैं।

उक्त मसौदा निदेशों पर विनियमित संस्थाओं, बाज़ार-सहभागियों और अन्य इच्छुक पक्षकारों से 28 अगस्त 2026 तक टिप्पणियां आमंत्रित की गई थी।

आरबीआई ने 'भारतीय रिज़र्व बैंक (ऋणों एवं अग्रिमों पर ब्याज दरें) निदेश, 2026' के मसौदे पर टिप्पणियां आमंत्रित की

दिनांक 05 अगस्त 2026 को जारी 'विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य' में की गई घोषणा के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 12 अगस्त 2026 को जन सामान्य से टिप्पणियों के लिए 'भारतीय रिज़र्व बैंक (ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज दरें) निदेश, 2026' का मसौदा जारी किया है।

विनियमित संस्थाओं (आरई) के लिए ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज दरों के संबंध में रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर विभिन्न अनुदेश जारी किए हैं, जिनका उद्देश्य मौद्रिक नीति का प्रभावी संचरण सुनिश्चित करना, क्रेडिट संबंधी जोखिम का उचित मूल्य निर्धारण करना तथा उधारकर्ताओं के साथ उचित और भेदभावपूर्ण रहित व्यवहार सुनिश्चित करना हैं।

वर्तमान में, अग्रिमों पर ब्याज दरों से संबंधित विनियामकीय ढांचा, वाणिज्यिक बैंकों (जिसमें लघु वित्त बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंक शामिल हैं) पर लागू है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, अस्थिर दर वाले ऋणों के लिए आंतरिक और बाह्य बेंचमार्क-आधारित उधार ढांचे और ऐसे बेंचमार्क पर स्प्रेड के निर्धारण संबंधी अनुदेश शामिल हैं। अन्य विनियमित संस्थाओं (अर्थात्, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शहरी सहकारी बैंक और ग्रामीण सहकारी बैंक) द्वारा प्रदत्त ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज दरों से संबंधित विनियामकीय अनुदेश मुख्यतः आचरण से संबंधित पहलुओं पर केंद्रित हैं। इसके अतिरिक्त, वाणिज्यिक बैंकों के संबंध में, कुछ पहलुओं में विषम प्रथाएं देखी गई हैं, जिनमें एमसीएलआर (आंतरिक बेंचमार्क) और उसके घटकों का निर्धारण शामिल है। इसके अलावा, वर्तमान दिशानिर्देशों में स्थिर दर वाले ऋणों के संबंध में अत्यंत सीमित विनियामकीय अनुदेश शामिल हैं।

तदनुसार, सभी आरई के लिए एकीकृत निदेश जारी करने का प्रस्ताव है, जिसमें स्थिर दर और अस्थिर दर वाले ऋणों पर ब्याज दर के निर्धारण के लिए एक व्यापक, सिद्धांत-आधारित ढांचा निर्धारित होंगे, जोकि आरई के परिचालन की प्रकृति, जटिलता और मान के अनुरूप होंगे।

जन सामान्य से परामर्श / प्रतिक्रिया हेतु, सभी आरई पर लागू निदेश का एक मसौदा जारी किया जा रहा है। प्राप्त प्रतिक्रियाओं की जांच किए जाने के उपरांत, प्रत्येक श्रेणी की आरई के लिए अलग-अलग अंतिम निदेश जारी किए जाएंगे। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

आरबीआई ने "भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड) ग्यारहवां संशोधन निदेश, 2026" पर टिप्पणियां आमंत्रित की

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 7 अगस्त 2026 को भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड) ग्यारहवें संशोधन निदेश, 2026 का मसौदा जारी किया है, जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2025 के 'अध्याय VII: लीवरेज अनुपात ढांचा' में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है। इस संशोधन में बासेल समिति द्वारा जारी नवीनतम लीवरेज अनुपात ढांचे ('लीवरेज अनुपात 2017 मानक') को बैंकिंग पर्यवेक्षण पर लागू करने का प्रयास किया गया है। उक्त संशोधन निदेशों पर 28 अगस्त 2026 तक टिप्पणियां आमंत्रित की गई थी। टिप्पणियां/प्रतिक्रिया भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध 'कनेक्ट 2 रेगुलेट' खंड के अंतर्गत प्रदान किए गए लिंक के माध्यम से प्रेषित की जा सकती हैं।

IV. प्रकाशन

आरबीआई बुलेटिन - अगस्त 2026

रिज़र्व बैंक ने 25 अगस्त 2026 को अपने मासिक बुलेटिन का अगस्त 2026 का अंक जारी किया। इस बुलेटिन में द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य (3-5 अगस्त 2026), छः भाषण, एक आलेख और वर्तमान सांख्यिकी शामिल हैं।

यह आलेख अर्थव्यवस्था की स्थिति संबंधी है।

अर्थव्यवस्था की स्थिति

वैश्विक अर्थव्यवस्था एक नाजुक भू-राजनीतिक माहौल और व्यापार से जुड़ी लगातार अनिश्चितताओं का सामना कर रही है। तथापि, घरेलू अर्थव्यवस्था ने चल रही वैश्विक बाधाओं के प्रति उल्लेखनीय आघात- सहनीयता प्रदर्शित की है, जिसका कारण मजबूत घरेलू मांग और बढ़ती विनिर्माण और सेवा गतिविधि है। जुलाई में, जून के घाटे के बाद दक्षिण-पश्चिम मानसून ने गति पकड़ी। जबकि हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति मामूली रूप से बढ़ी, जो खाद्य मुद्रास्फीति को दर्शाती है; मूल मुद्रास्फीति स्थिर रही। चलनिधि की स्थिति में सुधार हुआ, जिससे ऋण संवृद्धि और चल रही निवेश गतिविधि को समर्थन प्राप्त हुआ। विदेशी पूंजी अंतर्वाह में सुधार हुआ, जिससे बाहरी क्षेत्र मजबूत हुआ।

V. जारी आंकड़े और सर्वेक्षण

अगस्त 2026 के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा जारी महत्वपूर्ण आंकड़े और सर्वेक्षण निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	शीर्षक
1	शहरी उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण- जुलाई 2026
2	मुद्रास्फीति पर घरेलू अपेक्षाओं का सर्वेक्षण
3	ग्रामीण उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण
4	पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं का समष्टि आर्थिक संकेतकों पर सर्वेक्षण – 101वें दौर के परिणाम
5	2025-26 की चौथी तिमाही के लिए विनिर्माण क्षेत्र पर मांग पुस्तिका, सूची और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण
6	2026-27 की पहली तिमाही के लिए विनिर्माण क्षेत्र का औद्योगिक परिदृश्य सर्वेक्षण
7	2026-27 की पहली तिमाही के लिए सेवा और आधारभूत संरचना परिदृश्य सर्वेक्षण
8	2026-27 की पहली तिमाही के लिए अखिल भारतीय आवास मूल्य सूचकांक
9	बैंक ऋण का क्षेत्र-वार अभिनियोजन- जुलाई 2026
10	जुलाई 2026 के लिए समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश
11	एनबीएफसी द्वारा प्रदत्त ऋण का क्षेत्रवार अभिनियोजन – जून 2026
12	जुलाई 2026 माह के लिए भारत के अंतर्राष्ट्रीय सेवा व्यापार संबंधी मासिक आंकड़े
13	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण और जमा दरें – अगस्त 2026
14	2026-27 की पहली तिमाही के लिए बैंक ऋण सर्वेक्षण
15	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण पर तिमाही मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी (बीएसआर)-1 - जून 2026
16	तिमाही आधारभूत सांख्यिकी विवरणियाँ (बीएसआर)-2: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास जमाराशि – जून 2026

श्री ब्रिज राज द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई - 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित। मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रीव्यू https://mcir.rbi.org.in पर उपलब्ध है।